



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, प्रबंधक, मेसर्स सिंगल एनर्जी प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, जिला रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल में कक्ष क्रमांक 834 के 0.078 हे. एवं कक्ष क्रमांक 815 के 0.039 हे.; कुल रकबा 0.117 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.117 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 01/02/2021

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं

वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

(राकेश चतुर्वेदी)
भा.व.सं.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-776/ 311

रायपुर, दिनांक 03/02/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, नवा रायपुर

विषय: - मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लाक तमनार जिला रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला से निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे. वा. केप्टिव पावर प्लांट के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन बाबत।
(पंजीयन क्र. FP/CG/PIPELINE/37602/2018)

संदर्भ: - मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 178 दिनांक 21.01.2021

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांक वार विवरण निम्नानुसार है:-

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 07) - आवेदनकर्ता, प्रबंधक, मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, जिला रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल में कक्ष क्रमांक 834 के 0.078 हे. एवं कक्ष क्रमांक 815 के 0.039 हे.; कुल रकबा 0.117 हे. स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे. वा. केप्टिव पावर प्लांट के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 8 से 14) - वन मंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक - FP/ CG/ PIPELINE/ 37602/ 2018 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि भू-प्रबंध प्रभाग के पत्र दिनांक 19.11.2020 के आधार पर की जाती है। वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ द्वारा जानकारी दी गई है कि पंजीयन शुल्क रु. 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29000 रुपये आवेदक संस्थान द्वारा जमा कराया गया है। उक्त राशि कोषालय में चालान क्रमांक 103 दिनांक 27.05.2019 द्वारा जमा कर दिया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 15) - रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल के प्रबंधक, मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, जिला रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल में कक्ष क्रमांक 834 के 0.078 हे. एवं कक्ष क्रमांक 815 के 0.039 हे.; कुल रकबा 0.117 हे. स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे. वाट केप्टिव पावर प्लांट हेतु के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 16) - प्रस्तावित परियोजना में 0.275 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 17-18) - प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 19 से 22) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 23 से 28) – प्रपत्र – 4 में यह व्यपवर्तन प्रस्ताव ग्राम तराईमाल, ब्लाक तमनार जिला रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला नैसर्गिक स्रोत से पानी ले जाने हेतु लगभग दो किमी. पाईप लाईन बिछाने हेतु है। उक्त पानी का उपयोग निकट में स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 में वाट केप्टिव पावर प्लांट में किया जावेगा। परियोजना की प्रशासकीय लागत 25 लाख रु. है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 29 से 31) – प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 32) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 33) – यूजर एजेंसी का प्रमाण पत्र संलग्न है जो वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 34 से 47) – यूजर एजेंसी का कथन है कि पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का यूजर का प्रमाण पत्र संलग्न है। साथ ही भारत सरकार का राजपत्र असाधारण क्रमांक 10 नई दिल्ली दिनांक 14.09.2006 पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना भी संलग्न है (प्रस्ताव पृ. क्र.-38)। इसके आधार पर यह सहमति व्यक्त की जाती है कि पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की इस प्रस्ताव में आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 48 से 54) – आवेदित क्षेत्र में मिश्रित प्रजाति के 43 वृक्षों का विदोहन किया जाना है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनीफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 55-59) – परियोजना 20 हे. से कम होने कारण कास्ट बेनीफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 60) – प्रस्ताव में केवल वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 61) – प्रस्ताव में केवल वन भूमि प्रभावित हो रहा है। अतएव गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 62) – आवेदित वन भूमि 0.117 हे. के प्रस्तावित प्रकरण 1.00 हे से कम होने के कारण विदोहित होने वाले 43 वृक्षों के एवज में 10 गुना वृक्ष रोपित करने हेतु योजना तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 63) – बिन्दु क्र. 16 अनुसार।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 64) – वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 65) – लागू नहीं।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 66) – लागू नहीं।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 67) – लागू नहीं।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 68) – प्रस्ताव अनुसार आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 69) – प्रस्ताव अनुसार आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 70) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 71) – प्रस्ताव अनुसार आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 72 से 80) – वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल द्वारा दिनांक 19.12.2020 से आवेदित वन भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया है तथा तत्पश्चात भाग-2 पर अन्य कोई विकल्प न होने के कारण प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। प्रभावित वन का घनत्व 0.1 से 0.4 के मध्य है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ के सुझावों से सहमति व्यक्त की गई है तथा प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वनसंरक्षक, बिलासपुर वृत्त की निर्धारित प्रपत्र भाग-3 पर अनुशंसा उनके पत्र दिनांक 21.01.2021 से संलग्नक के रूप में प्राप्त हुई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 81) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 82 से 83) – प्रस्तावित परियोजना हेतु ग्राम पंचायत ढोरम, औराईमुंडा एवं कंचनपुर ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सरपंच रायकेरा के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 84) – रायगढ़ वन मंडल की कुल वन भूमि 324301.500 वर्ग मी. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 85 से 91) – रायगढ़ वन मंडल में 64 प्रकरणों के लिए 3758.555 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 92) – रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत 1 प्रकरण में 0.820 हे. वन भूमि व्यपवर्तित की गई है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 93) – प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है। वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल का एवं परिक्षेत्राधिकारी तमनार का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 94) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 95 से 96) – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर रायगढ़ द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस संबंध में अनुभागीय स्तरीय वन अधिकार समिति घरघोड़ा, जिला रायगढ़ द्वारा दिनांक 13.10.2020 को जारी की गई है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 97-100) – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि का कलेक्टर रायगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 19.10.2020 को जारी किया गया है प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 101 से 102) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र एवं गणना पत्रक संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 103) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 104) – वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल के टीप अनुसार प्रस्तावित स्थल की मिट्टी चिकनी, दोमट एवं बलुई है जिसमें ह्यूमस, लगभग सामान्य है इसलिए मृदा, वृक्षों / वनस्पतियों के लिए उपयुक्त है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 105) – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा दिया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 106) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 107 से 109) – बिन्दु क्रमांक -2 पर विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 110) – प्रस्ताव अनुसार आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 111) – आवश्यकता नहीं।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 112-113) – डीजीपीएस सर्वे किया जा चुका है तथा आवेदित एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र की वेब पर केएमएल फाईल अपलोड की गई है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर उनके अनुशंसा से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा उपरांत एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से प्रथम चरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 2 प्रतियों में प्रेषित है।

संलग्न:-
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्रों की छाया प्रति मय संलग्नक
3. भाग-4
4. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)


(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़